


नवीन नं० 3887/2016

247



S.K. Sharma

17-11-16

न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

17-11-16

प्रकरण कमांक

/2016 पुनरीक्षण

R-3887-I-16

538
17-11-16

S.K. Sharma

1. साबिर अली पुत्र श्री बिलायत खाँ
 2. आसिफ अली पुत्र श्री बिलायत खाँ
 3. नाजिमी बी पुत्री श्री बिलायत खाँ
 4. अनीसा बी बेवा श्री बिलायत खाँ
- समस्त निवासीगण- मोहम्मदगढ़
पाही, तहसील ग्यारसपुर जिला
विदिशा, म०प्र० --आवेदकगण

बनाम

1. सफीक मोहम्मद पुत्र श्री जोस
मोहम्मद खाँ निवासी- ग्राम
मोहम्मदगढ़, पाही, तहसील
ग्यारसपुर जिला विदिशा, म०प्र०
2. अख्तर अली पुत्र श्री इम्तियाज
अली निवासी- ग्राम मोहम्मदगढ़,
पाही, तहसील ग्यारसपुर जिला
विदिशा, म०प्र०
3. हुमरोजमा पत्नी श्री अली अनसारी
निवासी- ग्राम मोहम्मदगढ़, पाही,
तहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा,
म०प्र०

हार

से है
1 में
हकारी

2

4. इरशाद अली
5. इसरार अली
6. रियाज अली पुत्रगण अख्तर अली
7. अशरफ बी बेवा अख्तर अली
8. अब्दुल मन्सूर पुत्र श्री मसूद उल
इस्लाम
9. मुबारक पुत्र मोहम्मद खॉ
निवासीगण-ग्राम मोहम्मदगढ़, पाही,
तहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा,
म0प्र0
10. म0प्र0 शासन --अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व
संहिता 1959 विरुद्ध नामान्तरण पंजी कमांक -9
आदेश दिनांक 05/09/1988 पारित द्वारा
तहसीलदार तहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा, म0प्र0

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार
प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य


1. यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है
कि, ग्राम पोहरा तहसील विदिशा जिला विदिशा में
स्थित भूमि का पट्टा भारत सामूहिक कृषि सहकारी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3887-एक/16

जिला - विदिशा

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|---|--|
| 5-12-18 | <p>आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p> | |